अदानी बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमित बनाम।

द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड ऑर्स।

(सिविल अपील सं. 2022 की 5878) 05 सितंबर, 2022

/

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

टेंडरः अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि दो निविदाओं के संबंध में, इसे अयोग्य माना गया था और/या विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा रियायत समझौते की समाप्ति को देखते हुए अयोग्य ठहराया गया था-रियायत समझौते की समाप्ति मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित विवाद का विषय था-अभिनिर्धारित किया गयाः रियायत समझौते की समाप्ति का मुद्दा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष व्यापक रूप से है-अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच एक व्यापक सहमति है कि इन कार्यवाहियों का यह देखते हुए निपटारा किया जाए कि विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा रियायत समझौते की समाप्ति को विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी किसी अन्य निविदा में भाग लेने के उद्देश्य से अयोग्यता या अयोग्यता के रूप में नहीं माना जाएगा और विशेष रूप से, जब अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने भाग नहीं लेने का बीड़ा उठाया है और उपरोक्त दो निविदाओं के संबंध में कोई दावा नहीं होगा-खंड 2 की वैधता को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका को वापस ले लिया गया है।8 आर. एफ. क्यू. दस्तावेजों या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी अन्य समान खंड का और जब भी ऐसी चुनौती दी जाती है, तो उसका निर्णय विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए और खंड 2 की वैधता के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय से प्रभावित नहीं होना चाहिए।8 उच्च न्यायालय के समक्ष विषय नहीं था।

/

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 5878।

/

2022 की रिट याचिका (एल) No.14657 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27.06.2022 से।

सह

2022 की रिट याचिका (सी) संख्या 569।

/

916

917

अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड बनाम J.N.P.A के न्यासियों का बोर्ड।

/

डॉ. A.M.Singhvi, नीरज किशन कौल, विक्रम नानकानी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, अर्शित आनंद, सुश्री गीतिका शर्मा, शाश्वत सिंह, ध्रुव शर्मा, सिद्धार्थ सीम, निधिराम शर्मा, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., श्याम दीवान, श्री हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, साकेत मोने, सुश्री जयक्रिती एस. जडेजा, अभिषेक सालियन, देवांश शाह, सुश्री दीप्ति अलाघ, निनाद लॉड, सुश्री रंजीता रोहतगी, आदित्य प्रताप स्वैन, अविनाश मैथ्यूज, इवो डी कोस्टा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एम. आर. शाह, जे.

/

1. बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा 2022 की रिट याचिका संख्या 14657 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निविदा संख्या 14657 के संबंध में उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है। जे. एन. पी./टी. आर. ए. एफ. आई. सी./एम. सी. बी./पी. पी. पी./2021/01, मूल रिट याचिकाकर्ता-अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड ने 2022 की वर्तमान सिविल अपील संख्या 5878 को प्राथमिकता दी है।

/

1.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 2022 की रिट याचिका संख्या 569 को याचिकाकर्ता-मेसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के लिए प्राथमिकता दी गई है:- "क. निविदा के अंतर्गत याचिकाकर्ता की अयोग्यता को अवैध, गलत घोषित करना और/या निविदा संख्या के अंतर्गत याचिकाकर्ता की अयोग्यता को रद्द करना। जे. एन. पी./टी./बी. टी./एस. डब्ल्यू. बी.-सी. बी./2021-22 टी-03 दिनांक 4.2.2022 (अनुलग्नक पी-1);

/

ख. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रत्यर्थी सं. को मैंडमस या मैंडमस की प्रकृति का कोई अन्य रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना। I और 2: (i) याचिकाकर्ता को निविदा सं. 1 (अनुलग्नक पी-5) (ii) के अंतर्गत प्रदान की गई बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के लिए दिनांकित आक्षेपित संचार को तुरंत वापस लेना और/या रद्द करना। जे. एन. पी./टी./बी. टी./एस. डब्ल्यू. बी.-सी. बी./4.2.2022 दिनांकित 2021-22 टी.-03; और (iii) याचिकाकर्ता की बोली को योग्यता के आधार पर खोलने और मूल्यांकन करने के लिए;ग. खंड 2.2 घोषित करना।8 आर. एफ. क्यू. का असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार से बाहर होना और उसे रद्द करना और रद्द करना;

/

/

/

XXXXXXX "

/

/

2. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपरोक्त दो निविदाओं के संबंध में निविदा सं। जे. एन. पी./टी. आर. एफ. आई. सी./एम. सी. बी./पी. पी. पी./2021/01 और निविदा सं. जे. एन. पी./टी./बी. टी./एस. डब्ल्यू. बी.-सी. बी./2021-22 टी.-03, अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी दिनांक 26.12.2020 समाप्ति पत्र के अनुसार दिनांक 01.08.2011 के रियायत समझौते की समाप्ति को देखते हुए अयोग्य और/या अयोग्य माना गया है।अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराते समय, प्रतिवादी संख्या 1 [जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जे. एन. पी. ए.) के

न्यासी मंडल] ने खंड 2.2 पर भरोसा किया है।8 योग्यता के लिए अनुरोध (आर. एफ. क्यू.) दस्तावेज।

/

3. डॉ. ए. एम. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल के साथ पेश हुए।श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, प्रत्यर्थी संख्या 1-जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के न्यासी मंडल की ओर से पेश हुए हैं और श्री श्याम दीवान और श्री हुज़ेफा अहमदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम मेसर्स जे. एम. बख्शी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है। 4.अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए. एम. सिंघवी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि इस तरह प्रतिवादी संख्या 1 ने पहले 21.10.2020 पर दिनांकित 01.08.2011 अनुबंध/रियायत समझौते को समाप्त कर दिया और उसके बाद ही एक जवाबी विस्फोट के रूप में, विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण ने दिनांकित 26.12.2020 पत्र के माध्यम से उक्त रियायत समझौते को समाप्त कर दिया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि रियायत समझौते की समाप्ति मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित विवाद का विषय है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के साथ दिनांकित रियायत समझौते की समाप्ति को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी किसी अन्य निविदा में भाग लेने के उद्देश्य से अयोग्यता या अयोग्यता के रूप में नहीं माना जा सकता है।

/

/

/

/

4.1 डॉ. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बार में कहा है कि समय बीतने और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त दो निविदाओं के संबंध में दिए जाने/दिए जाने/दिए जाने की प्रक्रिया को देखते हुए, अपीलार्थी/याचिकाकर्ता उपरोक्त दो निविदाओं के संबंध में भाग लेने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं करता है।हालांकि, उन्होंने एक उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा दिनांकित रियायत समझौते की समाप्ति को ए के लिए अयोग्यता/अयोग्यता के रूप में नहीं माना जा सकता है।

/

/

अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड v.J.N.P.A के न्यासियों का बोर्ड। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किसी अन्य निविदा में भाग लेने का उद्देश्य।

4.2 डॉ. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बार में कहा है कि याचिकाकर्ता खंड 2 की वैधता को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ 2022 की रिट याचिका संख्या 569 को वापस लेता है। 8 आर. एफ. क्यू. दस्तावेजों या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी अन्य समान खंड का और यह देखा जा सकता है कि इसका निर्णय और निपटान विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाए और उच्च न्यायालय द्वारा 2022 की रिट याचिका संख्या 14657 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से प्रभावित न हो।

/

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने बार में कहा है कि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित डॉ. सिंघवी द्वारा की गई प्रार्थना के संदर्भ में वर्तमान कार्यवाही का निपटारा करने के लिए अपीलकर्ता और प्रत्यर्थियों के बीच व्यापक सहमति है, हालांकि, यह देखने का अनुरोध किया है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा दिनांकित रियायत समझौते की समाप्ति को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी किसी अन्य निविदा में भाग लेने के उद्देश्य से अयोग्यता या अयोग्यता के रूप में नहीं माना जाएगा, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और इस न्यायालय ने खंड 2 की वैधता पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।8 आर. एफ. क्यू. दस्तावेज़।

/

/

/

6. श्री श्याम दीवान, श्री हुज़ेफा अहमदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ उपस्थित होते हुए, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी मेसर्स जे. एम. बख्शी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की ओर से पेश हुए, उन्होंने कहा है कि जैसा कि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने घोषणा की है कि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता भाग नहीं लेने का वचन देता है और उपरोक्त दो निविदाओं के संबंध में कोई दावा नहीं करेगा, जो दी जाती हैं/दी जाने की प्रक्रिया में हैं, अगर अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के प्रतिवादी संख्या 1-न्यासी मंडल के बीच व्यापक सहमति के मद्देनजर उचित आदेश पारित किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

/

7. हमने डॉ. ए. एम. सिंघवी, श्री नीरज किशन कौल के साथ पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री तुषार मेहता, प्रतिवादी की ओर से पेश होने वाले विद्वान सॉलिसिटर जनरल-जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के न्यासी मंडल और श्री श्याम दीवान और श्री हुज़ेफा अहमदी, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अर्थात् मेसर्स जे. एम. बख्शी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को सुना है।

/

/

8. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराया गया है और/या विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा दिनांकित रियायत समझौते की समाप्ति को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 और/या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहराया गया है और जिसके लिए खंड 2.2 है।8 आर. एफ. क्यू. दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है।हालांकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यह अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की ओर से मामला है कि उत्तरदाताओं ने पहले 21.10.2020 पर रियायत समझौते को समाप्त कर दिया और उसके बाद ही और एक जवाबी विस्फोट के रूप में, विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण ने दिनांकित 26.12.2020 समाप्ति पत्र के माध्यम से रियायत समझौते को समाप्त कर दिया।यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 01.08.2011 दिनांकित रियायत समझौते की समाप्ति मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित विवाद का विषय है।इसलिए, रियायत समझौते की समाप्ति का मुद्दा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष व्यापक रूप से है।चाहे जो भी हो, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच एक व्यापक सहमति है कि वर्तमान कार्यवाही का यह देखते हुए निपटारा किया जाए कि विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा दिनांकित रियायत समझौते की समाप्ति को विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी किसी अन्य निविदा में भाग लेने के उद्देश्य से अयोग्यता या अयोग्यता के रूप में नहीं माना जाएगा और विशेष रूप से, जब अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने भाग नहीं लेने का बीड़ा उठाया है और उत्तरदाताओं द्वारा जारी की गई और मंजूर की जा रही उपरोक्त दो निविदाओं के संबंध में उनका कोई दावा नहीं होगा, अर्थात् जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और मेसर्स जे. एम. बक्शी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का न्यासी मंडल।- (i) कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के पास दो निविदाओं के संबंध में कोई दावा नहीं होगा, अर्थात् निविदा संख्या। जे. एन. पी./टी. आर. एफ. आई. सी./एम. सी. बी./पी. पी. पी./2021/01 और निविदा सं. जे. एन.

पी./टी./बी. टी./एस. डब्ल्यू. बी.-सी. बी./2021-22 टी-03 जैसा कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से किया गया है;

/

/

/

/

/

(ii) कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में और पक्षों के बीच सहमति के अनुसार, विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा दिनांकित रियायत समझौते की समाप्ति को भविष्य में किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी किसी अन्य निविदा में भाग लेने के उद्देश्य से अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की अयोग्यता या अयोग्यता के रूप में नहीं माना जाएगा।

/

/

921

अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड बनाम J.N.P.A के न्यासियों का बोर्ड। [एम. आर. शाह, जे.]

/

9. 2022 की रिट याचिका संख्या 569 को खंड 2.2 की वैधता को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया है।8 आर. एफ. क्यू. दस्तावेजों या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी अन्य समान खंड के बारे में और जब भी ऐसी चुनौती दी जाती है, तो उसका निर्णय विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए और खंड 2 की वैधता के रूप में 32022 की रिट याचिका संख्या 14657 में बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से प्रभावित नहीं होना चाहिए।8 उच्च न्यायालय के समक्ष विषय नहीं था और हमने खंड 2 की वैधता या अन्यथा की भी जांच नहीं की है।8 आर. एफ. क्यू. दस्तावेज़।

/

2022 की वर्तमान सिविल अपील संख्या 5878 और 2022 की रिट याचिका संख्या 569 का उपरोक्त संदर्भों में निपटारा कर दिया गया है।

/

/

मामलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

/

/

/

/

/